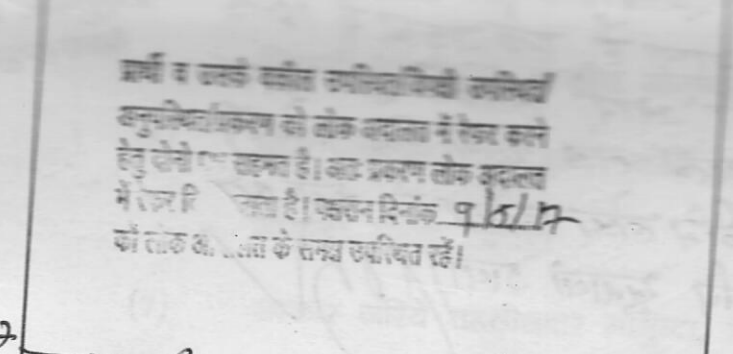

पक्षों व उनके [illegible] अधिवक्ताओं [illegible]
अनुच्छेद/प्रकरण को लोक अदालत में रेफर करने
हेतु [illegible] रखा है। अतः प्रकरण लोक अदालत
में [illegible] जाता है। पक्षकार दिनांक 9/5/17
को लोक अ[illegible] के समक्ष उपस्थित रहें।

2017

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" अभियान कैम्प चौरवाड़ी में पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रकरण को कैम्प कोर्ट में लिया जाकर विचारण किया गया। प्रार्थीया का कथन है कि मौजा भा[illegible] खुर्द।

तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2068 से 71 के खाता संख्या 41, 61, 102, 133 में वर्णित भूमि स्थित है। उक्त खातों में वर्णित आराजियात में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज भूमि प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 की मौरूसी सम्पत्ति है। प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 2 से 4 विपक्षी संख्या 1 की आपदा संतान है। विपक्षी संख्या 1 खातेदारी का फायदा उठाकर भूमि को विक्रय करने पर आमादा हो रहे जिसे रोका जाना नितान्त आवश्यक है। विपक्षी को इस्तकाल करने से नहीं रोका गया तो प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 2 से 4 को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। अतः विपक्षीगण को अग्रिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन किया गया। हमने प्रार्थीया के कथन पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन से वादग्रस्त भूमि सोनसिंह विपक्षी संख्या 1 व अन्य सह-खातेदारों के नाम पर दर्ज है। प्रार्थीया का कथन है कि वादग्रस्त भूमि मौरूसी सम्पत्ति है व प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 2 से 4 सोन सिंह के वारिसान है। प्रार्थीया के उक्त कथनों की सत्यता स्थिति में उत्पादित मसले आम हुआ की जारी रहे ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 भूमि को विक्रय करे यह उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः तथ्यों के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण में दिनांक 15-01-2014 को जारी आदेश को मूल वाद के निस्तारण तक पुष्टी किया जाता है। पत्रावली नियमित होकर संख्या से दर्ज हो निर्णय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला, उदयपुर